

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

पत्रांक: 1(43) राज.-6/2016/141

जयपुर, दिनांक: 30/8/2022

शुद्धि पत्र

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 20 खण्ड (ख) का उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(43) राज.-6/2016/120 दिनांक: 11.07.2022 में क्र.सं. 75 पर प्रशिक्षु अधिकारी का नाम "श्री अमित बिश्नोई" के स्थान पर "श्रीमती अमिता बिश्नोई" पढ़ा जावे।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(एम.डी.रत्नौ)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मारो मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सचिव, मारो राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलकटर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 30/8/2022 प्रकाशन हेतु।
11. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
13. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव 30/8/22